सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00004

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 04/2020

1. धन्नाराम पुत्र श्री गणपतराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 9 ग्राम लुहारा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी (पंचायत) एवं एस.डी.एम. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम 1994

उपस्थित :

1.श्री जीतपाल सिंह सैनी अधिवक्ता अपीलार्थी

2.तहसीलदार रायसिंहनगर।

:: आदेश :: **दिनांक :— 20.01.2020**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी धन्नाराम पुत्र श्री गणपतराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 9 ग्राम लुहारा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा ग्राम पंचायत लुहारा के वार्ड संख्या 09 में मत जुडवाने हेतु आवेदन प्ररूप–1 मातहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत 30 एपीडी से मत विलोपन हेतु जमा करवाये गये आवेदन पत्र की रसीद तथा सैकेण्डरी परीक्षा की अंक सूची की छाया प्रति प्रस्तुत की थी। आवेदन पत्र के साथ रहवास बाबत कोई साक्ष्य सलंग्न नहीं किया गया जिस पर सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच करवाई गई जांच में सम्बन्धित हल्का पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक से जांच करवाई गई जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के गांव लुहारा में निवास नहीं करता अंकित किया गया जिसके आधार पर मातहत न्यायालय ने आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकगण एवं रेस्पोडेंट सहायक निर्वाचन अधिकारी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी ने कथन किया है कि अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत लुहारा के वार्ड संख्या 09 में मत जुडवाने हेतु आवेदन प्ररूप–1 मातहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत 30 एपीडी से मत विलोपन हेतु जमा करवाये गये आवेदन पत्र की रसीद तथा सैकेण्डरी परीक्षा की अंक सूची की छाया प्रति प्रस्तुत की थी। आवेदन पत्र के साथ रहवास बाबत कोई साक्ष्य सलंग्न नहीं किया गया अब ग्राम पंचायत लुहारा के सरपंच द्वारा अपने लैटर पैड पर लिख कर दिया है कि अपीलांट धन्नाराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल ग्राम

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पंचायत लोहरा वार्ड नम्बर 9 में राजूराम पुत्र पोखरराम मेघवाल के घर पर 6 माह से रह रहा है। राजूराम पुत्र श्री पोकरराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 9 लोहारा तहसील रायसिंहनगर ने भी अपना शपथ पत्र दिया है कि मेरा ग्राम लुहारा के वार्ड नम्बर 9 की आबादी भूमि में आवासीय भूखण्ड है जिसमें मेरा रिश्तेदार श्री धन्नाराम पुत्र श्री गणपतराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लोहारा तहसील रायसिंहनगर में स्थायी तौर पर करीब 8 माह से निवास कर रहा है। अपीलांट द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन प्ररूप–1 प्रस्तुत किया था जिस पर प्रगणक वार्ड नम्बर 08 से 09 लुहारा द्वारा मौके पर जांच की तथा अपनी रिपोर्ट में आवेदक गांव लुहारा वार्ड नम्बर 09 में निवास कर रहा है। इसकी वोट बनाया जाना उचित है की रिपोर्ट दी थी। मातहत न्यायालय द्वारा जांच किये जाने का आदेश गलत दिया है कानूनन ऐसी कोई जांच करने का राज0 पंचायती राज निर्वाचन नियम में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए जांच का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण जांच का अपीलांट पर कोई प्रभाव नहीं है। अतः मातहत न्यायालय का आदेश दिनांक 10.01.2020 प्रकरण क्रमांकः पआचु/निर. अघ/20/2279 को निरस्त किया जावें।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदधिकारी, रायसिंहनगर की ओर से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर उपस्थित हुए और कथन किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 4651 दिनांक 04.1.2019 द्वारा जारी निर्देशानुसार पंचायत आम चुनाव–2020 हेतु मतदाता सूचियों की तैयारी के अन्तर्गत रायसिंहनगर पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को किया गया था। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी योग्य व्यक्ति के मतदाता सूची में नाम जोड़ने बाबत प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम,1994 के बिन्दु संख्या 20(2) के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम किसी/वार्ड निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। उस सूची में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और पुर्वोक्त अधिकारी यदि उसे इस बात का समाधान हो जाये कि आवेदक ऐसी सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार है, उसमें उसका नाम सम्मिलित किये जाने के लिए निर्देश, इस उप–नियम के अधीन अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को कोई सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर पूर्ण तीन दिन की कालावधि तक प्रदर्शित किये जाने के पश्चात ही जारी किये जावेगें, अंकित है। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/6768 दिनांक 15.10.2015 का भी अवलोकन करने पर उसमें नियम 20 एवं 21ए के अन्तर्गत निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवस पूर्व तक नाम जोड़ने/संशोधित करने/हटाने के लिए प्राप्त आवेदनों को ही निर्वाचन की लोक सूचना जारी किये जाने की तिथि तक निस्तारित किया जावे, बाबत निर्देश है। आवेदक धन्नाराम पुत्र गणपतराम द्वारा ग्राम पंचायत लुहारा के वार्ड संख्या 09 में मत जुड़वाने हेतु आवेदन प्ररूप–1 दिनांक 04.01.2020 को किया गया। आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत 30 एपीडी से मत विलोपन हेतु जमा करवाये गये आवेदन पत्र की रसीद तथा सैकण्डरी परीक्षा की अंक सूची की छाया प्रति सलंग्न की गई थी। आवेदन के साथ रहवास बाबत कोई साक्ष्य सलंग्न नहीं किया गया। अतः मौके पर आवेदक से आवेदन पत्र में अंकित पते पर रहवास बाबत कोई प्रमाण/साक्ष्य सलंग्न करने हेतु कहा गया परन्तु आवेदक द्वारा रहवास बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया। अपीलांट द्वारा अपील

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के बिन्दु संख्या 4 में 8 माह से रायसिंहनगर पंचायत समिति परिक्षेत्र में निवास करने तथा पूर्व की मतदाता सूची गांव 30 एपीडी से अपना नाम कटवा लेना अंकित किया है। यह तथ्य भी पूर्ण सही नहीं है। प्रार्थी द्वारा वोट कटवाने की जो पावती सलंग्न की है वह 22.12.2019 की है, जो पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु निर्धारित तिथि 13.12.2019 तथा आरक्षण निर्धारण के बाद की है। किसी भी मतदाता का मत उसके निवास के आधार पर ही निवास वाले क्षेत्र में बनाया जा सकता है न कि पूर्व स्थान से मत कटवाने पर वह कहीं भी मत बना सकता है। अपीलांट द्वारा स्वयं 08.01.2020 को सरपंच के लैटर पैड पर उसके छः माह से गावं लुहारा में निवास करने का लिखा है अतः स्पष्ट है कि अपीलांट के पास निवास सम्बन्धी कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा राजूराम पुत्र श्री पोकरराम के द्वारा शपथ पत्र में प्रार्थी के उसके आवासीय भूखण्ड में 6 माह से रहने बाबत शपथ पत्र देना लिखा है इस सम्बन्घ में कार्यालय को कोई जानकारी नहीं है। आवेदक द्वारा वार्ड संख्या 9 में निवास बाबत रिपोर्ट को ध्यान न देने की बात लिखी है। अपीलांट द्वारा बिना इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये ही पूर्व में ही प्रगणक की रिपोर्ट अंकित करवा रखी थी ,जबकि नियमानुसार अपीलांट को अपना आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए था, तथा प्रगणक से रिपोर्ट इस कार्यालय स्तर से ली जानी थी। अतः जब आवेदक की तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच करवाई गई तो उसमें प्रगणक की पुनः रिपोर्ट लेने पर प्रगणक द्वारा पूर्व की रिपोर्ट अपीलंट के कहने के आधार पर करने तथा वास्तविक जांच में अपीलांट के मौके पर रहवास न करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः प्रगणक को भी अपीलांट द्वारा गलत सूचना दी गई। आवेदक द्वारा पटवारी को कानूनन जांच का अधिकारी न होने व मौके पर जाकर जांच न करने का आरोप अंकित किया है। यह तथ्य अस्वीकार है, तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पटवारी व सम्बन्धित भू.अ. निरीक्षक को जांच हेतु अधिकृत करने पर ही उनके द्वारा जांच की गई थी। आवेदक द्वारा वोट 30 एपीडी से कटवा ग्राम लुहारा की वोटरलिस्ट में ट्रांसफर करने तथा इसके लिए किसी दस्तावेज आवश्यक न होना लिखा है, यह तथ्य अस्वीकार है। एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में वोट ट्रांस्फर नहीं होता तथा वोट ट्रांस्फर के लिए आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित स्थान पर रहवास का प्रमाणित होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना अपीलांट का मूलभूत अधिकार होना लिखा है यह तथ्य पूर्ण रूपेण सही नहीं है किसी भी व्यक्ति का किसी मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु विधिक नियम है। उसी के अनुरूप ही नाम जोड़ा जा सकता है।

अपीलाट एक राजनैतिक व्यक्ति है जो आरक्षण विशेष को ध्यान में रखते हुए अपना मत गांव पंचायत लुहारा में जुड़वाना चाहता है। अपीलांट के गांव का स्थाई निवासी न होने के कारण नियमानुसार आवेदन अस्वीकार किया गया है जो सही है।

मैनें दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 19.01.2020 एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत 30 एपीडी से अपना वोट कटवाने एवं उसके स्थान पर ग्राम पंचायत लोहरा वार्ड नम्बर 9 में अपना वोट जुड़वाने की प्रार्थना की, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रायसिंहगर द्वारा बाद जांच अस्वीकार कर दी गई हैं, जिसके विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी के अनुसार उसके द्वारा ग्राम पंचायत 30 एपीडी से अपना नाम कटवाकर ग्राम पंचायत लोहरा वार्ड नम्बर 9 में नाम

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सम्मिलित करने हेतु प्ररूप–1 में प्रार्थना की थी किन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, रायसिंहनगर के द्वारा जवाब दिनांक 19.01.2020 एवं उसके द्वारा संलग्न तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा संलग्न जांच रिपोर्ट दिनांक 04.01.2020 एवं उसके द्वारा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित तिथि 13.12.2019 तक या दिनांक 13.12.2019 तक आवेदन पत्र प्ररूप–1 प्रगणक को जमा नही करवाया गया था। अपीलार्थी द्वारा जो वोट काटने की पावती पेश की गई थी वह दिनांक 22.12.2019 की है जबकि पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची में नाम जुडवाने हेतु निर्धारित तिथि 13.12.2019 तथा आरक्षण निर्धारण के बाद की है। जिसके कारण उसका नाम ग्राम पंचातय लोहारा के वार्ड नं. 9 में सम्मिलित होने पर विचार नहीं हो सकता था। प्रगणक द्वारा की गई जांच व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा की गई जांच के अनुसार अपीलार्थी ग्राम पंचायत लोहारा के वार्ड नं. 9 में निवास नहीं करता है और दूसरा उसके परिवार के सदस्यों के वोट भी ग्राम पचांयत लोहारा के वार्ड नम्बर 09 में नही है, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत लोहारा के वार्ड नं. 9 में निवास नहीं करता है। इसलिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,(पंचायत चुनाव) एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर की जांच के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा आवेदक धन्नाराम का ग्राम पंचायत लोहारा में वोट बनाने सम्बन्धित जो आवेदन पत्र प्ररूप–1 खारिज किया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी धन्नाराम की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी के ग्राम पचांयत लोहारा वार्ड नम्बर 09 में नाम न जोड़ने सम्बन्धी जो आदेश पारित किया गया है वह सही है और उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और उसे बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय उनका मूल रिकॉर्ड निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. सुजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर